जलवायु वार्ता और ईंधन के भंडार

स्थिति विचित्र होती जा रही है। खतरनाक जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए हमें जीवाश्म ईंधन को जलाना बंद करना होगा। मगर जलाने योग्य ईंधन की मात्रा को सीमित करने का मतलब होगा कि वैश्विक अर्थ व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा नाकाम हो जाएगा।

एक गैर-बंधनकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की बात कही गई है। यदि इस समझौते का सम्मान करना है तो हम पृथ्वी पर मौजूद जीवाश्म ईंधन भंडार का मात्र एक चौथाई हिस्सा ही जला सकते हैं।

कार्बन ट्रेकर इनिशिएटिव की नई रिपोर्ट के अनुसार इसकी वजह से बड़ी-बड़ी ऊर्जा कंपनियों का मूल्य 40 से 60 प्रतिशत तक कम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अब तक उपयोग न किए जा रहे संसाधनों की तलाश में अरबों डॉलर का निवेश कर दिया है।

दूसरे शब्दों में, निवेशकों ने ऐसे ईंधन भंडारों की तलाश में पैसा लगाया है जिनका दोहन नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से निवेशकों ने जीवाश्म ईंधन का एक फुग्गा फूला लिया है। उनका इरादा है कि जीवाश्म ईंधन भंडारों से पैसा कमा सकेंगे। लेकिन इस समझौते के तहत वे फायदा नहीं उठा पाएंगे।

इस मामले में कैम्ब्रिज स्थित एंगलिया यूनिवर्सिटी के एलिड जॉन्स कहते हैं कि यदि कोई चरणबद्ध जलवायु समझौता होता तो आर्थिक नुकसान कम हो सकता था। दिक्कत यह है कि हमारे पास समय बहुत कम है। और इस तरह की चरणबद्ध योजना पर जल्द से जल्द सहमति की आवश्यकता है। यदि अचानक उत्सर्जन की सीमा लागू की गई तो अर्थ व्यवस्था पर वैश्विक संकट पैदा हो सकता है।

तेल निर्यातक देश बहुत पहले से इस समस्या के प्रति जागरूक थे। जैसे 1990 से सऊदी अरब जैसे देश दलील देते रहे हैं कि किसी भी जलवायु समझौते में उनके नुकसान की भरपाई की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि ऐसे किसी भी समझौते के बाद वे अपने बहुमूल्य जीवाश्म भंडार बेच नहीं पाएंगे। ***(स्रोत फीचर्स)***